बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्रांक :– NHM/BHDS/597/2018– 1643 /पटना दिनांक 20-12-2018

प्रेषक,

रविन्द्रनाथ राय
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा : **वित्त विभाग।**

विषय : **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत Crop Diversification Programme (CDP) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्रांश मद 18.1794 लाख (अठारह लाख सतरह हजार नौ सौ चालीस) रूपये एवं राज्यांश मद 12.1196 लाख (बारह लाख ग्यारह हजार नौ सौ साठ) रूपये कुल 30.299 लाख (तीस लाख उन्नतीस हजार नौ सौ) रूपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत Crop Diversification Programme (CDP) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्रांश मद 18.1794 लाख (अठारह लाख सतरह हजार नौ सौ चालीस) रूपये एवं राज्यांश मद 12.1196 लाख (बारह लाख ग्यारह हजार नौ सौ साठ) रूपये कुल 30.299 लाख (तीस लाख उन्नतीस हजार नौ सौ) रूपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–8 के अनुसार यह योजना चालू स्कीम है। इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2017–18 में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के अनुसार किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत इस योजना के कार्यमद तथा अनुदान के दर में कोई परिवर्त्तन नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत तम्बाकु की खेती के स्थान पर वैकल्पिक खेती के लिए भारत सरकार से संसूचित उदव्यय के आलोक में सब्जी की खेती के लिए फसल विविधिकरण कार्यक्रम Crop Diversification Programme (CDP) के लिए कार्य योजना को भारत सरकार कृषि मंत्रालय के पत्रांक 1–6/2017 सी०यू०–II दिनांक 03.07.2018 के आलोक में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 20.08.2018 द्वारा मो० 30.299 लाख रूपये के लिए स्वीकृत किया गया है जिसमें सब्जी की खेती हेतु विभिन्न सब्जियों यथा–गाजर, मूली, फूलगोभी, बंधागोभी, भिंडी, टमाटर, मिर्च, बैंगन, कद्दू, लौकी, करैला, ककड़ी, तुरई, मटर एवं प्याज को शामिल किया गया है।

3. भारत सरकार द्वारा पत्रांक–1-4/2018-RKVY/1 दिनांक 07.09.2018 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत फसल विविधिकरण कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश मद में कुल 9.00 लाख (नौ लाख) रूपये की विमुक्त किया गया है। केन्द्रांश मद् में पुर्व वर्ष का अवशेष कुल 3.68478 लाख रूपये जिला में उपलब्ध है जिसे निदेशालय के पत्रांक 1401 दिनांक 15.10.2018 एवं 1400 दिनांक 15.10.2018 द्वारा संबंधित कोषागार के संबंधित शीर्ष के Receipt Head में चालान के माध्यम से जमा करने हेतु निदेश दिया जा चुका है। राशि कोषागार में जमा होने के बाद ही इसकी निकासी की जायेगी। इस प्रकार केन्द्रांश मद् में कुल 12.68478 लाख रूपये उपलब्ध है। शेष राशि भारत सरकार द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में विमुक्त किया जायेगा। तत्काल केन्द्रांश के रूप में प्रथम किस्त अन्तर्गत विमुक्त राशि 9.00 लाख रूपये एवं अवशेष राशि 3.68478 लाख रूपये यानि कुल 12.68478 लाख रूपये तथा समानुपातिक मैचिंग राज्यांश की निकासी हेतु राशि आवंटित की जायेगी। शेष राशि भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात् आवंटन एवं निकासी किया जा सकेगा।

Letter dt. 02.11.2018
सुनील कुमार पंकज

4. उक्त योजना का कार्यान्वयन तीन जिलों यथा–वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर में कराया जायेगा। भारत सरकार द्वारा योजना के स्वरूप को 60:40 किया गया है। जिसमें केन्द्रांश 60 प्रतिशत मो० 18.1794 लाख रूपये एवं राज्यांश 40 प्रतिशत मो० 12.1196 लाख रूपये कुल मो० 30.299 लाख रूपये स्वीकृति की गई है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत संकर प्रभेद की सब्जी खेती का इकाई लागत 45,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर तथा खुला परागण प्रभेद की सब्जी खेती का इकाई लागत 30,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। लाभुकों को अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से किया जायेगा। वैसे लाभुकों का चयन किया जायेगा जिनका निबंधन DBT Portal पर हो चुका है तथा वें पिछले वर्ष तम्बाकु की खेती किये हैं। लाभुक के खेत चयन करते समय सहायक निदेशक उद्यान की यह जिम्मेवारी होगी कि चयनित खेत में पिछले वर्ष में तम्बाकु की खेती की गयी है। Crop Diversification Programme (CDP) योजना 2018–19 के लिए स्वीकृत कार्यक्रम (जिलावार लक्ष्य) अनुसूची–1 एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी अनुसूची–2 के रूप में संलग्न है। स्वीकृत राशि की निकासी संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी। इस योजना अन्तर्गत चयनित लाभुक का चयन जैविक खेती योजना अन्तर्गत नहीं किया जाना है।

5. Crop Diversification Programme (CDP) योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर बिहार बागवानी विकास सोसाईटी एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति गठित है। बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के राज्य स्तर पर कार्यकारी प्रधान मिशन निदेशक एवं जिला स्तर पर जिला बागवानी विकास समिति के अध्यक्ष संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी हैं।

6. योजना कार्यान्वयन के संबंध में यथाआवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

7. बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	कोषागार से निकासी हेतु स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–माँग संख्या–1, उपशीर्ष–0216–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड 01–2401001090216, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–0216.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	11205.00	15.0889
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–माँग संख्या–1, उपशीर्ष–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड 01–2401007890203, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–0203.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	2160.00	2.90871
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–माँग संख्या–1, उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड 01–2401007960231, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–0231.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	135.00	0.18179
योग	**13500.00**	**18.1794**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–माँग संख्या–1, उपशीर्ष–0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड 01–2401001090316, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–0316.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	7470.00	10.05928
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–माँग संख्या–1, उपशीर्ष–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड 01–2401007890303, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–0303.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	1440.00	1.93913
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–माँग संख्या–1, उपशीर्ष–0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०) विपत्र कोड 01–2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–0331.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	90.00	0.12119
योग	**9000.00**	**12.1196**

कुमार पंकज

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन एवं स्वीकृति हेतु प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका संख्या NHM/BHDS/597/2018 के टि० पृष्ट संख्या 22/टि० दिनांक 23.11.2018 पर प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या NHM/BHDS/597/2018 के टि०पृ० संख्या 28/टि० दिनांक 07.12.2018 को प्राप्त है जिसकी डायरी संख्या–231 दिनांक 05.12.2018 है।

बिहार राज्य पाल के आदेश से

Rdeyndo 19-12-18

(रविन्द्रनाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/597/2018- 1643 /पटना दिनांक 20-12-2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeyndo 19-12-18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/597/2018- 1643 /पटना दिनांक 20-12-2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeyndo 19-12-18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/597/2018- 1643 /पटना दिनांक 20-12-2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, समस्तीपुर/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeyndo 19-12-18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

ज्ञापांक : NHM/BHDS/597/2018- 1643 /पटना दिनांक 20-12-2018

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/संबंधित जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक उद्यान, वैशाली, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rdeyndo 19-12-18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार।

Letter dt. 02.11.2018

अनुसूची–1

District-wise Target for Crop Diversification Programme (CDP) under RKVY (2018-19)												
(Phy. in Ha. & Fin. in Lakh)												
Sl. No.	Component	Unit	Maximum Permisible unit cost as per MIDH/VIUC* Norms	Approved rate of Assistance	Muzaffarpur		Vaishali		Samastipur		Total	
					Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Alternate corps demonstrations											
	Vegetable Crop (carrot, raddish, cauliflower/cabbage, okra, tomato, chili, brinjal, pumpkin/sponge gourd/bitter gourd/cucumber/ridge gourd, pea, onion)											
i	Open Field	Ha.	₹30000.00*	75% of the cost limited to Rs. 22500/ha. (Vegetable initiative for Urban Clusters norms)	27.84	6.2640	25	5.6250	25	5.6250	77.84	17.5140
ii	Hybrid Veg.	Ha.	₹45000.00*	75% of the cost limited to Rs. 33750/ha. (Vegetable initiative for Urban Clusters norms)	13	4.3875	11	3.7125	11	3.7125	35	11.8125
				Sub Total	40.84	10.6515	36	9.3375	36	9.3375	112.84	29.3265
2	Awarness Training			As per approved cost norms of State Plan/CSS/ normal RKVY	0	0.2365	0	0.2200	0	0.2200	0	0.6765
3	Contingency for implementation & monitoring				0	0.1000	0	0.0980	0	0.0980	0	0.2960
				Sub Total	0	0.3365	0	0.3180	0	0.3180	0	0.9725
				Total	40.84	10.9880	36	9.6555	36	9.6555	112.84	30.2990

(Rs. Thirty Lakh Twenty Nine Thousand Nine Hundred Only)

सुनिल कुमार पंकज
संयुक्त निदेशक उद्यान
उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना

Letter dt. 24.10.2018